न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़, (अजमेर)

राजस्व वाद संख्याः–34/2019 दायर दिनांकः–03.06.2019

1. जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्यामशरणदेवाचार्य श्रीजी महाराज शिष्य अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज निवासी श्री निम्बार्काचार्यपीठ निम्बार्कतीर्थ सलेमाबाद, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।

---प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ।

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत् राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु

निर्णय दिनांकः–27.10.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने पंजीकृत सामान्य अधिकार प्रलेख में छः व्यक्तियों को सामान्य अधिकार पत्र दिया है जो तहसील कार्यालय किशनगढ से पंजिकृत है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए सामान्य अधिकार पत्र धारक 1. श्रीमाधवशरण आयु 77 वर्ष शिष्य अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सलेमाबाद तहसील किशनगढ जिला अजमेर 2. श्री ओमप्रकाश शर्मा आयु 46 वर्ष पुत्र श्री सीताराम शर्मा/शिष्य अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज, जाति ब्राह्मण निवासी निम्बार्क नगर, अजमेर रोड़, वार्ड नं0 12, हीरापुरा, जयपुर, जिला जयपुर को समस्त उक्त प्रार्थना पत्र की कार्यवाही के लिये अधिकृत किया गया है जो सामान्य अधिकार प्रलेख में उल्लेखित है। उक्त कृषि भूमि मंदिर के नाम पर कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम नवां पटवार हल्का नवां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थल तहसील रुपनगढ जिला अजमेर में स्थित है। खाता संख्या नया 294 के खसरा नम्बर 217 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय है। उक्त संपूर्ण कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मंदिर के नाम पर एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के गुरु श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज के नाम पर पहले हो रखी थी। जबकी प्रार्थी के गुरु श्री श्रीजी महाराज का देवलोक गमन हो गया है। इस कारण उनके स्थान पर राज्य सरकार के द्वारा जारी दिनांक–12.09.2018 के परिपत्र [illegible] जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्यामशरणदेवाचार्य श्रीजी महाराज [illegible] या संरक्षक की हैसियत से इन्द्राज दुरुस्ती करवाना चाहता है। प्रार्थी के [illegible] श्री [illegible] महाराज ने अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.21 15:03:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

रजिस्टर्ड वसीयत में प्रार्थी वर्तमान में जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्यामशरणदेवाचार्य श्रीजी महाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। अतः प्रार्थी मंदिर की कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में पुजारी या संरक्षक के रुप में अपना नाम अंकन करवाना चाहता है। क्योंकि पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के गुरुजी श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज के नाम को राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित कर दिया था जिसके पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा दिनांक–12.09.2018 को जारी परिपत्र में मंदिर की भूमि में पुजारी या सरवराकार का नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में अंकन का परिपत्र जारी किया गया है। जिसकी अनुपालना में उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी के गुरुजी श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज का नाम पूर्व में राज्य सरकार के आदेश के अनुसार मंदिर की भूमियों से मंदिर के पुजारी या सरवराकार के नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित कर दिये थे जिसके पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा दिनांक–12.09.2018 को जारी परिपत्र के अनुसार मंदिर की कृषि भूमि में पुजारी या सरवराकार का नाम संरक्षक के रुप में पुनः दर्ज करने के लिए जारी परिपत्र की अनुपालना में माननीय न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी पुजारी की हैसियत से मंदिर भूमि में अपने कब्जे काश्त एवं मंदिर की खातेदारी भूमि पर बिजली कनेक्शन सहित अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने सहित मंदिर भूमि को सुरक्षित रखने के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी। प्रार्थी की ओर से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेज जिसमें भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड, वसीयत, ग्राम पंचायत का सजरा प्रमाण पत्र तथा प्रार्थी के गुरुजी का गोलोकवास का प्रमाण पत्र एवं वकालतनामा के साथ सामान्य अधिकार प्रलेख की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम नवां पटवार मंडल नवां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थल तहसील रुपनगढ जिला अजमेर की सेग्रिगेशन जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 287 पर खसरा नम्बर 217 रकबा 0.3964 है0 मंदिर श्री श्रीजी महाराज स्थान सलेमाबाद गैर खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

ग्राम नवां का खसरा नम्बर 217 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 में सिवायचक दर्ज था जो नियमन होकर जरिये नामान्तकरण सं0 339 स्वीकृत दिनांक–04.02.2002 से मंदिर श्री श्रीजी महाराज स्थान सलेमाबाद [illegible] दर्ज होकर आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में मंदिर श्री श्रीजी महाराज स्थान [illegible] के नाम ही रिकॉर्डमें दर्ज चली आ रही है। राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में कभी भी प्रार्थी के गुरुजी श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य जी का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.21 15:03:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रुपनगढ़ (अजमेर)

दर्ज नहीं था। राजस्व रिकॉर्ड में पुजारी का नाम विलोपित किये जाने का अंकन नहीं है। भूमि का इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 से वर्तमान तक यथावत् मंदिर श्री श्रीजी महाराज स्थान सलेमाबाद गैर खातेदार के नाम चला आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक–12.09.2018 में मंदिर की भूमि में पुजारी या संरक्षक का नाम पुनः राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, केवल एक पृथक पंजिका बनवाकर उसमें पुजारीयों का नाम अद्यतन रखने के निर्देश प्रदान किये गये है।

वाद अधीन भूमि मंदिर माफी की भूमि है एवं मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है इसलिए मंदिर मूर्ति की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किसी का नाम जोड़ा जाना उचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कराने की कृपा करावें।

हमने पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया। तद्नुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रुपनगढ को तहसील कार्यालय में इस बाबत् संधारित की जा रही पृथक पंजिका में पुजारी का नाम अद्यतन रखने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.10.2021 को कैम्प कोर्ट प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय नवां में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.21 15:03:38 IST
Reason: SelfAttested